

3-7-23

अभिभाषक प्राची उपस्थित। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र तथा बहस के आधार पर न्यायादित्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 8-3-2023 को रिवाँल किया जाकर अपील को रेस्टोर किया जाता है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मूल अपील के साथ सलग्न हो।

॥
अति.संपादीय आयुक्त
बीकानेर